



LATEST NEWS



Election

Date : 22nd Dec. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

<https://election.rajasthan.gov.in/>

Follow us on:

   
CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन
1950

त्यूज बीफ

अवैध मतदाता सूची से जिन्हें राजनीतिक लाभ मिला, वे ही विरोध कर रहे: शेखावत

जोधपुर। केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने कहा कि एसआईआर का विरोध करने वाले खुद ही कंप्यूज हैं। ऐसे लोग पहले खुद सुधार की मांग करते थे। उन्हें स्वयं यह स्पष्ट नहीं है कि वे विरोध क्यों कर रहे हैं? कुछ स्थानों पर ऐसे तत्व भी हो सकते हैं, जिन्हें अवैध या अनुचित रूप से मतदाता सूची में शामिल नामों से राजनीतिक लाभ मिलता रहा हो और वही लोग अब इन सुधारों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों से विपक्ष संसद को चर्चा के मंच के बजाय राजनीतिक हंगामे का अखाड़ा बनाने का प्रयास करता रहा है। कागज फाड़ना, नारेबाजी करना और सदन की कार्रवा को बाधित करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

मतदाता पंजीकरण के लिए आज व कल लगेंगे शिविर

सीमा सन्देश#श्रीगंगानगर।

निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावे एवं आपत्तियों का चरण 15 जनवरी तक जारी है। इसके तहत मतदाता सूची में 18 वर्ष की आयु के युवा, महिला मतदाताओं के साथ विशेष योग्यजन, पीवीटीजी समेत अन्य पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण के लिए जिले में सोमवार से कलस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मंजू ने बताया कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची में 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा एवं महिला, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर इत्यादि पात्र मतदाताओं का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण करने के लिए विभिन्न गतिविधियां

आयोजित होंगी। एसआईआर के अंतर्गत कोई भी पात्र मतदाता न छूटे की संकल्पना के तहत युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए 22 एवं 23 दिसंबर को जिले के विद्यालयों एवं कॉलेजों में ईएलसी के माध्यम से नव मतदाता पंजीकरण, 29 दिसंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगजनों के लिए मतदाता कलस्टर कैंप, 6 जनवरी 2026 को डोरटू डोर सर्वे कर ट्रांसजेंडर एवं ईआरओ की ओर से चिन्हित स्थानों पर पीवीटीजी, डिनोटिफाइड ट्राइब, नोमेडिक एवं सेमी नोमेडिक कम्युनिटी के शेष रहे व्यक्तियों का पंजीकरण तथा 10 जनवरी को महिलाओं एवं नव विवाहित महिलाओं का समस्त मतदान केंद्रों पर पंजीकरण किया जाएगा।

नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कलस्टर कैप कल से

क्रीमिनला। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दो एवं आवृत्तियों का चरण 15 जनवरी 2026 तक चल रहा है। इसमें मतदाता सूची में 18 वर्ष की आयु के पुरा, महिला मतदाताओं के साथ विशेष योग्यता, पीवीटीजी समेत अन्य पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में रहा-प्रतिसत्ता पंजीकरण करवाया जाना है। जिले में 22 दिसंबर से कलस्टर कैपों का आयोजन होगा। जिला निर्बाचन अधिकारी डॉ. मंजू ने बताया कि युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए 22 एवं 23 दिसंबर को जिले के विभागों एवं

कर्मलोगों में ईस्लसी के माध्यम से नव मतदाता पंजीकरण, 29 दिसंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगजनों के लिए मतदाता कलस्टर कैप, 6 जनवरी को ढोर दू ढोर सर्वे कर ट्रांसजॉडर एवं ईआरओ की ओर से चिनिहत स्थानों पर पीवीटीजी, डिनोटिफाइड ट्राइब, नोमेडिक एवं सेमी नोमेडिक कम्युनिटी के शेष रहे व्यक्तियों का पंजीकरण तथा 10 जनवरी को महिलाओं एवं नव विवाहित महिलाओं का समस्त मतदाता केंद्रों पर पंजीकरण किया जाएगा।

नए वोटर्स के पंजीकरण के लिए वलस्टर कैंप आज से

यू० | मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नव मतदाता पंजीकरण के लिए सोमवार से वलस्टर कैंप लगाए जाएंगे। स्वीप नोडल अधिकारी सीईओ श्वेता कोचर ने बताया कि 22 व 23 दिसंबर को युवा मतदाताओं के लिए सभी राजकीय- निजी विवि, कॉलेज व माध्यमिक व उमा स्कूलों में कैंप लगाए जाएंगे। वहीं 29 दिसंबर को दिव्यांग मतदाताओं के लिए स्कूल व कॉलेज ईश्लसी, दिव्यांगों के विशेष स्कूल, आवासीय स्कूल तथा कार्यरत सीएसओ, एनजीओ, पंचायतीराज संस्थाओं में, छह जनवरी को ट्रांसजेंडर मतदाताओं के लिए डेरे, हवेलियों व इनके निवास स्थानों पर डोर टू डोर सर्वे कर तथा विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह मतदाताओं के लिए ईआरओ द्वारा तथ स्थानों पर कैंप लगेंगे।

नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कलस्टर कैंपों का आयोजन आज से

मरु मंच न्यूज

बाड़मेर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में प्रक्रियाधीन विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत दावे एवं आपत्तियों का चरण 15 जनवरी 2026 तक चल रहा है। इसके तहत मतदाता सूची में 18 वर्ष की आयु के युवा, महिला मतदाताओं के साथ विशेष योग्यजन, पीवीटीजी समेत अन्य पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण करवाना जाना है। इसके लिए 22 दिसंबर से कलस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर टीना डाबी ने बताया कि एसआईआर के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के नव मतदाता के लिए कलस्टर कैम्प आयोजित कर मतदाता सूची में पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत मतदाता सूची में 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा एवं महिला, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर इत्यादि पात्र मतदाताओं का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि एसआईआर के अंतर्गत कोई भी पात्र मतदाता न छूटे की संकल्पना के तहत समाज के वंचित वर्गों एवं समाज की मूल धारा में जुड़ने से शेष रहे वर्गों पर विशेष जोर देते हुए समावेशी मतदाता पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है, जिसके तहत एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दावे एवं आपत्तियों के चरण के मध्य 15 जनवरी 2026 तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2026 के आधार पर 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नव मतदाताओं का पंजीकरण किया जाना है। उन्होंने बताया कि युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए 22 एवं 23 दिसंबर को जिले के विद्यालयों एवं कॉलेजों में ईएलसी के माध्यम से नव मतदाता पंजीकरण, 29 दिसंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगजनों के लिए मतदाता कलस्टर कैंप, 6 जनवरी 2026 को डोर टू डोर सर्वे कर ट्रांसजेंडर एवं ईआरओ की ओर से चिन्हित स्थानों पर पीवीटीजी, डिनोटिफाइड ट्राइब, नोमेडिक एवं सेमी नोमेडिक कम्प्युनिटी के शेष रहे व्यक्तियों का पंजीकरण तथा 10 जनवरी को महिलाओं एवं नव विवाहित महिलाओं का समस्त मतदान केंद्रों पर पंजीकरण किया जाएगा। स्वीप नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार कलस्टर कैंपों का आयोजन करवाते हुए नव मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कलस्टर कैंपों का आयोजन आज से

टाइम्स ऑफ डेजर्ट

www.timesofdesert.com

बाड़मेर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में प्रक्रियाधीन विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत दावे एवं आपत्तियों का चरण 15 जनवरी 2026 तक चल रहा है। इसके तहत मतदाता सूची में 18 वर्ष की आयु के युवा, महिला मतदाताओं के साथ विशेष योग्यजन, पीवीटीजी समेत अन्य पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण करवाना जाना है। इसके लिए 22 दिसंबर से कलस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर

दीना डाबी ने बताया कि एसआईआर के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के नव मतदाता के लिए कलस्टर कैम्प आयोजित कर मतदाता सूची में पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत मतदाता सूची में 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा एवं महिला, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर इत्यादि पात्र मतदाताओं का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि एसआईआर के अंतर्गत कोई भी पात्र मतदाता न हूटे की संकल्पना के तहत समाज के बचित वर्गों

एवं समाज की मूल धारा में जुड़ने से शेष रहे वर्गों पर विशेष जोर देते हुए समावेशी मतदाता पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है, जिसके तहत एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दावे एवं आपत्तियों के चरण के मध्य 15 जनवरी 2026 तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2026 के आधार पर 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नव मतदाताओं का पंजीकरण किया जाना है। उन्होंने बताया कि युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए 22 एवं 23 दिसंबर को जिले के विद्यालयों एवं कॉलेजों में ईएलसी के माध्यम से नव मतदाता पंजीकरण, 29 दिसंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

की ओर से दिव्यांगजनों के लिए मतदाता कलस्टर कैंप, 6 जनवरी 2026 को डोर टू डेर सर्वे कर ट्रांसजेंडर एवं ईआरओ की ओर से चिन्हित स्थानों पर पीवीटीजी, डिनोटिफाइड ट्राईब, नोमेडिक एवं सेमी नोमेडिक कम्युनिटी के शेष रहे व्यक्तियों का पंजीकरण तथा 10 जनवरी को महिलाओं एवं नव विवाहित महिलाओं का समस्त मतदान केंद्रों पर पंजीकरण किया जाएगा। स्वीप नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार कलस्टर कैंपों का आयोजन करवाते हुए नव मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कलस्टर कैंपों का आयोजन आज से

मरुलहर न्यूज

बाड़मेर। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशनानुसार राज्य में प्रक्रियाधीन विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत दावे एवं आपत्तियों का चरण 15 जनवरी 2026 तक चल रहा है। इसके तहत मतदाता सूची में 18 वर्ष की आयु के युवा, महिला मतदाताओं के साथ विशेष योग्यजन, पीवीटीजी समेत अन्य पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण करवाना जाना है। इसके लिए 22 दिसंबर से कलस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर टीना डाबी ने बताया कि एसआईआर के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के नव मतदाता के लिए कलस्टर कैम्प आयोजित कर मतदाता सूची में पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशनानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत मतदाता सूची में 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा एवं महिला, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर इत्यादि पात्र मतदाताओं का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि एसआईआर के अंतर्गत कोई भी पात्र मतदाता न छूटे की संकल्पना के तहत समाज के वंचित वर्गों एवं समाज की मूल धारा में जुड़ने से शेष रहे वर्गों पर विशेष जोर देते हुए समावेशी मतदाता पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है, जिसके तहत एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दावे एवं आपत्तियों के चरण के मध्य 15 जनवरी 2026 तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2026 के आधार पर 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नव मतदाताओं का पंजीकरण किया जाना है। उन्होंने बताया कि युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए 22 एवं 23 दिसंबर को जिले के विद्यालयों एवं कॉलेजों में ईएलसी के माध्यम से नव मतदाता पंजीकरण, 29 दिसंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगजनों के लिए मतदाता कलस्टर कैंप, 6 जनवरी 2026 को डोर टू डोर सर्वे कर ट्रांसजेंडर एवं ईआरओ की ओर से चिन्हित स्थानों पर पीवीटीजी, डिनोटिफाइड ट्राइब, नोमेडिक एवं सेमी नोमेडिक कम्युनिटी के शेष रहे व्यक्तियों का पंजीकरण तथा 10 जनवरी को महिलाओं एवं नव विवाहित महिलाओं का समस्त मतदान केंद्रों पर पंजीकरण किया जाएगा। स्वीप नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निदेशनानुसार कलस्टर कैंपों का आयोजन करवाते हुए नव मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कलस्टर शिविर आज से लगने शुरू होंगे

भास्कर न्यूज़ | बाइमेर

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में प्रक्रियाधीन विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत दावे एवं आपत्तियों का चरण 15 जनवरी 2026 तक चल रहा है। इसके तहत मतदाता सूची में 18 वर्ष की आयु के युवा, महिला मतदाताओं के साथ विशेष योग्यजन, पीवीटीजी समेत अन्य पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण करवाना जाना है। इसके लिए 22 दिसंबर से कलस्टर शिविरों का आयोजन होगा। कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि एसआईआर के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के नव मतदाता के लिए मतदाता सूची में पंजीकरण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन

पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूची में 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा एवं महिला, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर इत्यादि पात्र मतदाताओं का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण करने के लिए गतिविधियां आयोजित होगी।

उन्होंने बताया कि एसआईआर के अंतर्गत कोई भी पात्र मतदाता न छूटे की संकल्पना के तहत समाज के वंचित वर्गों एवं समाज की मूल धारा में जुड़ने से शेष रहे वर्गों पर विशेष जोर देते हुए समावेशी मतदाता पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है, जिसके तहत एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दावे एवं आपत्तियों के चरण के मध्य 15 जनवरी 2026 तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन अर्हता दिनांक 1 जनवरी

2026 के आधार पर 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नव मतदाताओं का पंजीकरण किया जाना है।

उन्होंने बताया कि युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए 22 एवं 23 दिसंबर को जिले के विद्यालयों एवं कॉलेजों में ईएलसी के माध्यम से नव मतदाता पंजीकरण, 29 दिसंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगजनों के लिए मतदाता कलस्टर कैम, 6 जनवरी 2026 को डोर टू डोर सर्वे कर ट्रांसजेंडर एवं ईआरआरों की ओर से चिन्हित स्थानों पर पीवीटीजी, डिनोटिफाइड ट्राइब, नोमेडिक एवं सेमी नोमेडिक कम्यूनिटी के शेष रहे व्यक्तियों का पंजीकरण तथा 10 जनवरी को महिलाओं एवं नव विवाहित महिलाओं का समस्त मतदान केंद्रों पर पंजीकरण किया जाएगा।

स्वीप नोडल अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि शिविरों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।

कलस्टर शिविरों का आयोजन आज से

नव मतदाताओं का किया जाएगा पंजीकरण

नवज्योति

भारत

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में प्रक्रियाधीन विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत दावे एवं आपत्तियों का चरण 15 जनवरी 2026 तक चल रहा है। इसके तहत मतदाता सूची में 18 वर्ष की आयु के युवा, महिला मतदाताओं के साथ विशेष योग्यजन, पीवीटीजी समेत अन्य पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण करवाना जाना है। इसके लिए 22 दिसंबर से कलस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर टीना डाबी ने बताया कि एसआईआर के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के नव मतदाता के लिए कलस्टर शिविरों आयोजित कर मतदाता सूची में पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन

पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत मतदाता सूची में 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा एवं महिला, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर इत्यादि पात्र मतदाताओं का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि एसआईआर के अंतर्गत कोई भी पात्र मतदाता न छूटे की संकल्पना के तहत समाज के वंचित वर्गों एवं समाज की मूल धारा में जुड़ने से शेष रहे वर्गों पर विशेष जोर देते हुए समावेशी मतदाता पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है, जिसके तहत एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दावे एवं आपत्तियों के चरण के मध्य 15 जनवरी 2026 तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन अर्हता 1 जनवरी 2026 के आधार पर 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नव मतदाताओं का पंजीकरण किया जाना है।

बीएलओ-पटवारियों की बैठक

अधिकतम 400 मतदाताओं पर बनेगा वार्ड, पुनर्गठन में पारदर्शिता के निर्देश

पत्रिका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रामसर @ पत्रिका. पंचायत समिति सभागार में रविवार को बीएलओ और पटवारियों की बैठक नायब तहसीलदार नथाराम भाटिया की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान बूथ लेवल पर वार्ड पुनर्गठन प्रक्रिया को लेकर विचार विमर्श किया गया। भाटिया ने कहा कि वार्ड पुनर्गठन का कार्य नियमानुसार पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो। प्रत्येक ग्राम पंचायत, ढाणी और वार्ड की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति तथा सीमाओं का सही आकलन किया जाए। पुनर्गठन के दौरान किसी भी क्षेत्र या मतदाता के साथ कोई त्रुटि



रामसर, समिति में बी एल ओ और पटवारी मीटिंग में जानकारी देते हुए।

न हो। उन्होंने बीएलओ और पटवारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर रिकॉर्ड का मिलान करने और तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर ही कार्य करने को कहा गया।

नायब तहसीलदार ने बताया कि अधिकतम 400 और न्यूनतम 300

मतदाताओं पर एक वार्ड बनाया जाएगा। जनसंख्या के आधार पर एक ग्राम पंचायत में पांच, सात, नौ ग्यारह वार्ड बनाए जा सकेंगे। आमजन से प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही वार्डों की अंतिम सूची तैयार करने, समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।

नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कलस्टर शिविरों का आयोजन आज से

बाडमेर@ पत्रिका. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में प्रक्रियाधीन विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम-2026 के तहत दावे, आपत्तियों का चरण 15 जनवरी तक चलेगा। इसके अंतर्गत मतदाता सूची में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं, महिला मतदाताओं, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर, पीवीटीजी सहित अन्य पात्र व्यक्तियों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना है। इसके लिए 22 दिसंबर से जिले में कलस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने बताया कि एसआईआर के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के नव मतदाताओं के लिए कलस्टर कैंप आयोजित कर मतदाता सूची में पंजीकरण किया जाएगा। पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत “कोई भी पात्र मतदाता न छूटे” की संकल्पना के साथ समाज के वंचित, मुख्यधारा से जुड़े बिना रह गए, वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए 22 व 23 दिसंबर को जिले के विद्यालयों, कॉलेजों में ईएलसी के माध्यम से पंजीकरण किया जाएगा। 29 दिसंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कलस्टर कैंप, 6 जनवरी 2026 को डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से ट्रांसजेंडर, पीवीटीजी, डिनोटिफाइड, नोमेडिक व सेमी-नोमेडिक समुदाय के शेष पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण तथा 10 जनवरी को महिलाओं व नव विवाहित महिलाओं का समस्त मतदान केंद्रों पर पंजीकरण किया जाएगा।

एसआईआर की तैयारी में सक्रिय होकर मतदाता सूची गहन जांच के दिए निर्देश

सर्वाईमाधोपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण होने के बाद विधानसभा क्षेत्र की सभी बूथों की प्रथम संशोधित मतदाता सूची एवं संशोधित बूथ क्रमों की सूची के संदर्भ में रविवार को बजरिया मंडल द्वारा भाजपा जिला कार्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को पूर्व जिलाध्यक्ष बजरंग लाल जाट ने संबोधित किया। इस मौके पर महामंत्री जगदीश अग्रवाल व उपाध्यक्ष पंडित लालचंद गौतम ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए। मंडल प्रवक्ता ओम शर्मा ने बताया कि मतदाता गहन निरीक्षण के बाद सर्वाई माधोपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले पांचों मंडलों की प्रथम संशोधित मतदाता सूची एवं संशोधित बूथ क्रम सूची जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी बजरिया मंडल के सभी बीएलओ-2 व कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का आयोजन किया गया।